(3) 180,000

नम्बर रसीद संख्या.................. 6210

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम 25/8/12
2. लेख्य-पत्र की किस्म
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई
4. प्रतिफल की रकम रुपये पैसे

क. फीस रजिस्ट्री :
   (1) साधारण फीस रजिस्ट्री
   (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस
   (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस 450,000

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस 4585/50

ग. विविध फीस :
   (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस ..
   (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस
   (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस .. 45900
   (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता .. 300
   (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस ..
   (6) संरक्षण फीस .. 22980
   (7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत-पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस .. 129840
   (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस ..
   (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस 198430

फीस के प्राप्त होने की तारीख 25/6/12 .. ..

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख .. ..

उप-पंजियक
रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

228055

उपकोषा... 1 JUN ... सांभर लेक

विक्रेता की फोटो

क्रेता की फोटो

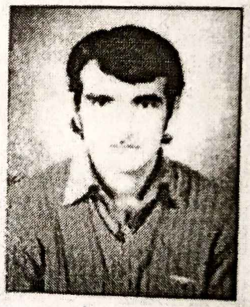

।।श्री।।

दस्तावेज बेचान पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 25 जून सन् 2012 ईस्वी को निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य अग्रवर्णित आधारों पर निर्धारित किया जाकर इसका निष्पादन किया गया है :– श्री बंशीधर उम्र 51 साल पुत्र श्री ईसरा जाति जाट निवासी भैंसावा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, प्रान्त राजस्थान जिन्हें इस विक्रय पत्र में आगे शब्द "विक्रेता" या प्रथम पक्ष से सम्बोधित किया

B.R. Bal Vidiya Samiti
Bhainsaan, Kalwar Road

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रू. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

228056

राजस्थान RAJASTHAN

उपकोषाधिकारी 19 JUN 2017 सांभर लेक

(2)

गया हैं, की ओर से बहक एस. आर. बाल विधा मन्दिर समिति, कालवाड़ रोड़, भैंसावा, रजिस्ट्रेशन नं. 279/जयपुर/1999-2000, जरिये सचिव श्री हरफूल सिंह चौधरी उम्र 35 साल पुत्र श्री सवाईराम जाट जाति जाट निवासी भैंसावा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, प्रान्त राजस्थान जिन्हे इस विक्रय पत्र में आगे शब्द "क्रेता" या द्वितिय पक्ष से सम्बोधित किया गया हैं।

विक्रेता के आशय मे उक्त विक्रेता प्रथम पक्ष के समस्त प्राकृतिक वंशज, विधिक उतराधिकारी, अधिकारी, प्रतिनिधि, प्रशासक, भागीदार आदि भी सदैव सम्मिलित होकर इस विलेख से बाध्य व पाबंद होंगे तथा क्रेता के आशय मे उक्त क्रेता द्वितिय पक्ष के समस्त प्राकृतिक वंशज, विधिक उतराधिकारी, अधिकारी, प्रतिनिधि, प्रशासक, भागीदार आदि भी सदैव सम्मिलित होकर इस विलेख से लाभान्वित होंगे।

जो कि विक्रेता प्रथम पक्ष की कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार की

Harphool

S.R. Bal Vidhya Samiti
Bhainsawa, Kalwar Road
JAIPUR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

228057

उपकोषाधिकारी 1 JUN 2017 सांभर लेक

(3)

आराजी खाता नं. नया 411 पुराना 391 के खसरा नं. 1081 रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी 1, कुल किता 1, कुल रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा, जो वाके ग्राम भैंसावा, पटवार क्षेत्र भैंसावा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करणसर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, प्रान्त राजस्थान में स्थित हैं, जिसमें विक्रेता प्रथम पक्ष का हिस्सा 1/5 हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी भैंसावा से गुढ़ामानसिंह (मानपुरिया) जाने वाली ग्रेवल रोड़ पर स्थित हैं एवं असिंचित एक फसलीय बारानी हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी मे हस्तान्तरण परिवर्तन आदि के समस्त मालिकाना अधिकार विक्रेता को उपरोक्त वर्णित आराजी में उसके हिस्से 1/5 बाबत बिना किसी अन्य के सीर साझे के प्राप्त हैं। विक्रेता अपने हिस्से की उक्त भूमि का लगान सरकारी जमा करवाता आ रहा हैं तथा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उपरोक्त आराजी हर प्रकार के रगडों झगडों से मुक्त हैं, तथा उक्त भूमि मन्दिर/मस्जिद माफी की भूमि में नहीं हैं। चूंकि विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी

Harfauf

R.R. Sai Vidhi ...

Bhainsawa Kalwar Road

Jaipur

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

228058

उपकोषाधिकारी 1 JUN 2017 सांभर लेक

(4)

पारिवारिक जरूरत आदि के लिए रुपयों की सख्त आवश्यकता हैं, तथा द्वितिय पक्ष, उक्त भूमि क्रय करना चाहता हैं इसलिये उक्त वर्णित आराजी **जिसमें विक्रेता प्रथम पक्ष का जो हिस्सा 1/5 हैं में से दो बीघा तीन बिस्वा भूमि को** इस बेचान पत्र द्वारा विक्रय किया जाना स्वीकार हैं। उक्त आराजी सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभाग निकाय, बैंक, जनसाधारण, व व्यक्ति विशेष के हर प्रकार के ऋण भार से मुक्त हैं और पवित्र है तथा किसी के यहां रहन या बय नही हैं, एवं ना ही उक्त आराजी में विक्रेता द्वारा अपने हिस्से को आज दिनांक से पूर्व किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या संस्था के हित में हस्तान्तरित किया गया हैं।

अतः प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी स्वस्थ इन्द्रिय व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी के दबाव या आग्रह के उपरोक्त वर्णित आराजी खाता नं. नया 411 पुराना 391 के खसरा नं. 1081 रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी 1, कुल किता 1, कुल रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा,

R. R. Bar Vidhya Sanis
Brahmaan, Kalwar Road

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

228059

राजस्थान RAJASTHAN

उपकोषाधिकारी 19 JUN सांभर लेक

(5)

जो वाके ग्राम भैंसावा, पटवार क्षेत्र भैंसावा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करणसर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, प्रान्त राजस्थान में स्थित हैं, जिसमें विक्रेता प्रथम पक्ष का जो हिस्सा 1/5 हैं में से दो बीघा तीन बिस्वा भूमि को बिना रखे किसी भी हित या अंश के बिल एवज अंके 4,50,000/- रूपयें (अक्षरें चार लाख पचास हजार रुपयें मात्र) के बदले बहक एस. आर. बाल विद्या मन्दिर समिति, कालवाड़ रोड़, भैंसावा, रजिस्ट्रेशन नं. 279/जयपुर/1999-2000, जरिये सचिव श्री हरफूल सिंह चौधरी उम्र 35 साल पुत्र श्री सवाईराम जाट जाति जाट निवासी भैंसावा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, प्रान्त राजस्थान को बेचान कर दी है व बेच दी है तथा बेची जा रही आराजी का विक्रय प्रतिफल सम्पूर्ण प्रथम पक्ष ने द्वितिय पक्ष से आज दिनांक को नकद रोकडी प्राप्त कर लिया हैं। अब कुछ भी धन विक्रय प्रतिफल पेटे दोनो पक्षों के मध्य लेना देना शेष

उप पंजीयक तहसील फुलेरा, मु. सांभर लेक

S.R. Bal Vidhya Samiti Bhainsawa, Kalwar Road Jaipur

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु. 10000

भारत

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

228060

(6)

नहीं रहा हैं ओर न ही भविष्य मे रहेगा। बेची गई भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता को भौतिक एवं वास्तविक रुप से आराजी के पूर्व में सम्भला दिया गया हैं, जिसे दोनों पक्ष इस विक्रय पत्र में स्वीकार करते हैं। क्रेता अब अपनी क्रयशुदा भूमि को तनहा काबिज मालिक व काश्तकार हो गया हैं, तथा विक्रय की गयी भूमि बाबत तमाम अधिकार प्रथम पक्ष विक्रेता के स्थान पर क्रेता में निहित हो चुके हैं। अब क्रेता को यह अधिकार हैं कि वह अपने नाम का दाखिल खारिज राजकीय कागजात में नियमानुसार करवा लेवे, नामान्तकरण अपने नाम से खुलवा लेवे, जिस बाबत अथवा क्रेता को स्वत्व को पुख्ता करने बाबत जब भी विक्रेता के हस्ताक्षरो अथवा सक्रिय सहयोग की आवश्यक्ता होगी तो ऐसे हस्ताक्षर व सक्रिय सहयोग प्रथम पक्ष विक्रेता बिना किसी एतराज या उज्र के क्रेता को प्रदान करेगा। किन्तु नामांन्तरण हेतु समस्त खर्चा क्रेता को वहन करना होगा। अब क्रेता अपनी उक्त क्रयशुदा

R.R. Bal Vidhya Samiti
Bhainsawa, Kalwar Road
Jaipur

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये भारत

रु. 10000 Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

228061

राजस्थान RAJASTHAN

(7)

आराजी को काश्त करें, काश्त हेतु बतलावें और कुआं-कोठी/ट्यूब वैल लगवाये/बनवाये, विधुत कनेक्शन प्राप्त करें, पेड़-पोधे, पाला, पानी, बूल सोल, लूम पातडी, मेड़, डोल इत्यादि से प्रत्येक प्रकार से फायदे उठावें तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थानिक, औधोगिक व अन्य प्रयोजनार्थ परिवर्तित करावें, इस हेतु संबंधित विभाग व निकाय से स्वीकृति प्राप्त करें, तथा भूमि को पृथक पृथक खण्ड़ो/भूखण्डों, फार्म हाउस आदि में विभाजित करें, इस बाबत संबंधित निकाय व विभाग से स्वीकृति प्राप्त करें तथा उक्त कृषि भूमि की पैमाईश पश्चात चार दिवारी का निर्माण करें, तारबंदी तथा सड़क नालीयां आदि बनावें एवं विधुत व पानी की सुविधा प्राप्त करें इस हेतु विधुत पोल लगवाये, व पानी की लाईन बिछायें एवं अपनी ईच्छा व प्रयोजनानुसार जिस प्रकार चाहें मंजिल दर मंजिल तामीरात करावें, जिस प्रकार चाहे, उपयोग व उपभोग में लेंवे, रद्दोबदल करें,

उप पंजियक
तहसील फुलेरा, मु. साँभर लेक

R.R. Sai Vidhi Samiti
Bhainsawas, Kanwar Road
Jaipur

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

228083

राजस्थान RAJASTHAN

उपकोषाधिकारी 21 JUN 2017 सांभर लेक

(8)

किसी को भी किराये व लीज पर देवें, तथा उक्त वर्णित भूमि को शामिलात में व पृथक पृथक खण्डों में किसी भी व्यक्ति संस्था को किसी भी किंमत पर रहन, विक्रय, बंधक बख्शीश करें, व किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को किसी भी किंमत पर हस्तान्तरित करें, तमाम मालिकाना व खातेदारी अधिकार उक्त द्वितिय पक्ष क्रेता को प्राप्त हो गये हैं, अर्थात आज से उपरोक्त विक्रित भूमि से लाभ प्राप्त करने, इसको विकसित करने, उपयोग व उपभोग मे लेने तथा बहैसियत मालिक, स्वामी के रुप में हस्तान्तरण आदि करने के समस्त मालिकाना अधिकार विक्रेता के स्थान पर क्रेता को प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार क्रेता आज के बाद विक्रित भूमि के संबंध में लगान आदि भी स्वंय के नाम से जमा करा सकता है तथा क्रेता क्रय की गयी भूमि को उपयोग, उपभोग करने व रहन, विक्रय, हस्तान्तरण व बख्शीश आदि करने में सक्षम हो चुका है। विक्रय की जा रही आराजी या उसका कोई अंश भविष्य में किसी भी तरह के विवाद के कारण यदि क्रेता के हक

उप कोषाधिकारी
तहसील फुलेरा, मु. सांभर लेक

R.R. Bal Vidhya Samiti
Bhairasar, Kalwar Road
Jaipur

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

228084

21 JUN 2012

(9)

अधिकार से निकल जायें, तो क्रेता को ऐसी क्षति विक्रेता से व्यक्तिश या उसकी चल अचल सम्पति से वसूल करने का अधिकार होगा। अब विक्रेता का उपरोक्त बेची गई भूमि से कोई ताल्लुक या वास्ता नही रहा है और न ही भविष्य मे रहेगा। बेची गई भूमि के बाबत अगर विक्रेता या विक्रेता का कोई साझीदार या भागीदार, उत्तराधिकारी, वारिसान, आदी पैदा होकर किसी भी प्रकार का झगडा-टंटा या दावा करेगा तो वह हर प्रकार से झूंठा होगा ओर उसके निपटारे की एंव उसकी हर प्रकार की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी।

विक्रय पत्र के पंजीयन संबंधी समस्त व्यय क्रेता द्वारा प्रतिफल राशी के अलावा वहन किये गये हैं।

विक्रय की जा रही कृषि भूमि की बाजार मालियत कतई विक्रय प्रतिफल राशी से अधिक नहीं हैं।

अतः यह दस्तावेज बेचान पत्र स्टाम्प कीमती रुपये 1,00,000/- किता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

228085

उपकोषाधिकारी
21 JUN 2012
सांभर लेक

कार्यालय उप पंजीयक सांभर लेक

(10)

10, कुल किता 10 पर लिखवाकर पढ सुन व समझकर सही होना स्वीकार कर अपनें हस्ताक्षर अंगूठ निशानी लगाकर मौजूज दो गवाहान की साक्षी में तहरीर व तकमील करवा दिया तांकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवें। आज दिनांक 25/06/2012 ईस्वी.........

नोटः- दस्तावेज बेचान पत्र की फोटो प्रति भविष्य मे अस्पस्ट हो जावे या पढनें में नही आवे तो उसके लिये पंजीयन विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

हस्ताक्षर विक्रेता :- [signature]

हस्ताक्षर क्रेता :- Harshood

S.R. Sai Vidhya Samiti
Bhainsawa, Kalwar Road
Jaipur

साक्षी 1. [signature]	साक्षी 2. [signature]
श्री सीताराम उम्र 40 साल	श्री भैंरुलाल उम्र 54 साल
पुत्र स्व. श्री ईसर जाति जाट	पुत्र श्री लालूराम जाति मीणा
निवासी भैंसावा, तहसील फुलेरा,	निवासी भैंसावा, तहसील फुलेरा,
जिला जयपुर, प्रान्त राजस्थान।	जिला जयपुर, प्रान्त राजस्थान।

DRAFTED AS PER RECORD & DIRECTION'S GIVEN BY EXECUTANT & CLAIMENT

Stamps and Registration Department
Office of The Sub Registrar Jaipur II
Jaipur
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2008052013303	Date			11/09/2008
Presenter Name	SAWAI RAM	Document S. No			2008052012933
Presenter/Property Address	VILL BHAISAWA TH. PHOOLERAJAIPURnull				
Document Type	Sale Deed (Conveyance deed)				
Claiment Name	HARPHOOL SINGH CHOUDHARY			Payment Mode	Cash
Face Value	51000	Evaluated Value	85000	Stamp Value	510

Ord- registration fee	850	commssion	0
csi_more_50000	200	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	6290	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	7340

Seven Thousand Three Hundred Forty Only

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) पंजीयक विभाग सत्यमेव जयते SUB-REGISTRAR, JAIPUR II

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-II

उप पंजीयक द्वितीय जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

22AA 939187

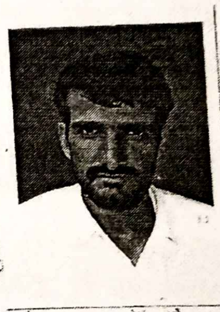

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) (राज.) SUB-REGISTRAR, JAIPUR-II

:: श्री ::

—:: विक्रय—पत्र ::—

यह विक्रय—पत्र आज दिनांक 09 सितम्बर सन् 2008 ईस्वी को सवाई राम *उम्र 54 वर्ष पुत्र श्री रुघनाथ, जाति जाट, निवासियान ग्राम भौंसावा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर (राजस्थान)—विक्रेता—जिसे इस लेखपत्र में आगे चलकर शब्द "प्रथमपक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है। (शब्द प्रथमपक्ष से अभिप्राय उक्त विक्रेता से है जिसमें उक्त विक्रेता के उत्तराधिकारी, वारिसान्, स्थानापन्न, पारिवारिक सदस्य, इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगें।) की ओर से—*

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

एस. आर. बाल विद्या मन्दिर
समिति. भैंसावा
पं स सांभरझील (जयपुर)

बहक

एस. आर. बाल विद्या मन्दिर समिति, भैंसावा रजि. नं. 279/जयपुर /1999–2000, जरिये सचिव श्री हरफुल सिंह चौधरी पुत्र श्री सवाईराम जाट, उम्र 32 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम भैंसावा तहसील फुलेरा जिला जयपुर (राजस्थान)–क्रेता–जिसे इस लेख पत्र में आगे चलकर शब्द "द्वितीयपक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है (शब्द द्वितीयपक्ष से अभिप्राय उक्त क्रेता से है जिसमें उक्त क्रेता के उत्तराधिकारी, वारिसान्, स्थानापन्न, प्रबंधक, निदेशक, सचिव एवं सदस्यगण, इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगें) के हित में निम्न प्रकार से लिखा व तस्दीक किया जा रहा है:–

जो कि वाके ग्राम भैंसावा पटवार हल्का भैंसावा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करणसर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर (राजस्थान) मे कृषि भूमि खवेट खतौनी संख्या नई 411 पुरानी 391 में खसरा नम्बर 1071 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1072 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1073 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1074 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1075 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 1076 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1077 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1081 रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1083 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1084 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1085 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा कुल किता ग्यारह कुल रकबा 114 बीघा 09 बिस्वा सम्पूर्ण में हिस्सा 1/5 कृषि भूमि की खातेदारी प्रथम पक्ष विक्रेता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं अंकित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का लगान सरकार में प्रथम पक्ष विक्रेता जमा करवाता आ रहा है तथा वर्तमान में प्रथम पक्ष विक्रेता अपने हिस्से की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज खातेदार काश्ताकार है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि के हिस्सा 1/5 कृषि भूमि का प्रथम पक्ष विक्रेता बिना किसी अन्य व्यक्ति एवं संस्था के सीर व साझे के एकमात्र रूप से मालिक, काबिज, खातेदार, काश्तकार, स्वामी व अधिकारी है। उक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण को हर प्रकार से रहन, विक्रय, बख्शीश आदि द्वारा हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण मालिकाना स्वत्वाधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से प्रत्येक प्रकार के झगड़े, टण्टे, ऋण भार सरकारी आदि से पूर्णतः मुक्त पाक व साफ है। प्रथम पक्ष विक्रेता ने उक्त वर्णित कृषि भूमि को आज दिन तक किसी भी व्यक्ति एवं संस्था के हित में किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है तथा प्रथम पक्ष विक्रेता को उक्त वर्णित कृषि भूमि को रहन, विक्रय, बख्शीश, त्याग, वसीयत इत्यादि हर प्रकार से हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है।

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

एस. आर. बाल विद्या मन्दिर
समिति, भैंसावा
पं म ... (जयपुर)

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) (राज.) पंजीयक विभाग सत्यमेव जयते SUB REGISTRAR, JAIPUR-II

3

(द्वितीय) (राज.) क विभाग जयते GISTRAR, JAIPUR-II

चूंकि कि प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी निजी एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है तथा द्वितीय पक्ष क्रेता विद्यालय हेतु 01 बीघा 5 बिस्वा भूमि की आवश्यकता है इस कारण प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी काश्तकारी–खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 411 पुरानी 391 में खसरा नम्बर 1081 रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा में अपने हिस्से 1/5 की कृषि भूमि में से क्रेता की स्वयं की भूमि से छूती हुई 01 बीघा कृषि भूमि वाके ग्राम भैंसावा, पटवार हल्का भैंसावा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करणसर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर (राजस्थान) को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकारों मय इसमें स्थित मय पेड़, पौधो पाला पानी पूला हक काश्त सहित को मुबलिग 51,000/–रूपये (अक्षरे इक्यावन रूपये) की एवज में क्रेता एस॰ आर॰ बाल विद्या मन्दिर समिति, भैंसावा रजि॰ नं॰ 279/जयपुर /1999–2000, जरिये सचिव श्री हरफुल सिंह चौधरी पुत्र श्री सवाईराम जाट, उम्र 32 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम भैंसावा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान)– द्वितीयपक्ष को कतई बैचान कर दिया है, तथा प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से उक्त विक्रय शुदा कृषि भूमि की समस्त विक्रय मूल्य राशि 51,000/–रूपये (अक्षरे इक्यावन हजार रूपये) नकद आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष प्राप्त कर लिये है। जिसकी प्राप्ति होना प्रथम पक्ष विक्रेतागण इस विक्रय पत्र में स्वीकार करता है, जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष विक्रेता समक्ष सब रजिस्ट्रार महोदय के स्वीकार व अंगीकार करता है। अब प्रथम पक्ष विक्रेता को द्वितीय पक्ष क्रेता से विक्रय राशि में से शेष कुछ भी लेना–देना नहीं रहा है, और न ही भविष्य में रहेगा।

यह कि प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता का विक्रय शुदा भूमि पर मालिकाना कब्जा पैमाइस करके भौतिक रूप से करा दिया है, जो प्रथम पक्ष विक्रेता इस विक्रय–पत्र में स्वीकार करते है। अब विक्रय शुदा भूमि को द्वितीय पक्ष क्रेता अपने उपयोग व उपभोग में लेवें तथा इसमें स्वयं काश्त करें व अन्य से काश्त करवायें तथा इसे हर प्रकार से विकसित एवं हस्तान्तरित करके हर प्रकार का लाभ व फायदा अर्जित करें। इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता स्वयं एवं उसके किसी भी वारिसान, उत्तराधिकारी, पारिवारिक सदस्यों, स्थानापन्न आदि को कोई उज्र एवं आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि का भौतिक कब्जा वास्तविक रूप से प्रथम पक्ष विक्रेता ने उक्त द्वितीय पक्ष क्रेता को सौंप दिया है तथा द्वितीय पक्ष क्रेता को समान रूप से काबिजदार बना दिया है तथा उक्त कृषि भूमि का द्वितीय पक्ष क्रेता तनहा मालिक, काबिज, अधिकारी व काश्तकार हो गया है तथा उक्त भूमि सम्पूर्ण के तमाम अधिकार अब द्वितीय पक्ष क्रेता को प्राप्त हो गये है।

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

एस. आर. बाल विद्या मन्दिर
समिति, भैंसावा
पं. स. सांभर लेक (जयपुर)

यह कि अब उक्त द्वितीय पक्ष क्रेता उक्त वर्णित कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से खुलवावें, राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज व अंकित करावे, स्वयं काश्त करे, काश्त हेतु बतलावे और कुआ–कोठी/ट्यूब बेल लगवावे/बनवाये, विद्युत कनेक्शन प्राप्त करे, पेड़–पोधे, पाला, पानी, बोल सोल, मेड़ डोल इत्यादि से प्रत्येक प्रकार से फायदे उठावे तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को आवासीय, वाणिज्यक, संस्थानिक, औद्योगिक व अन्य प्रयोजनार्थ परिवर्तित करावे, इस हेतु सम्बन्धित विभाग व निकाय से स्वीकृति प्राप्त करे तथा भूमि को पृथक–पृथक खण्डो/भूखण्डो, फार्म हाऊस आदि में विभाजित करें, इस बाबत सम्बन्धित निकाय व विभाग से स्वीकृति प्राप्त करे तथा उक्त कृषि भूमि की पैमाईश पश्चात चार दीवारी का निर्माण/तारबन्दी करावे तथा सड़क नालियां आदि बनवाने एवं विद्युत व पानी की सुविधा प्राप्त करे इस हेतु विद्युत पोल लगवाने व पानी की लाईन बिछावें एवं अपनी ईच्छानुसार एवं प्रयोजनानुसार जिस प्राकर चाहे मंजिल दर मंजिल तामीरात करावें जिस प्रकार चाहे उपयोग व उपभोग में लेवें, रद्दोबंदल करें, किसी को भी किराये व लीज पर देवें, तथा उक्त वर्णित भूमि को शामिलात में व पृथक–पृथक खण्डों में किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी भी कीमत पर रहन, बंधक, विक्रय, बख्शीश करें व किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी भी कीमत पर हस्तान्तरित करें, तमाम मालिकाना व खातेदारी अधिकार उक्त द्वितीय पक्ष क्रेता को प्राप्त हो गये है। जिसके सम्बन्ध में प्रथम पक्ष विक्रेता के विधिक वारिसान, उत्तराधिकारियों स्थानापन्नों, प्रतिनिधियों इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति, ऐतराज करने का कोई अधिकार नही है और ना ही भविष्य में होगा और यदि प्रथम पक्ष विक्रेता के वारिसान द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति ऐतराज किया जाता है तो ऐसी आपत्ति, ऐतराज प्रारम्भ से शून्य व प्रभावहीन होगी।

यह कि उक्त विक्रय की गयी कृषि भूमि बाबत प्रथम पक्ष विक्रेता स्वंय एवं उनके वारिसान, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, प्रतिनिधियों, पारिवारिक सदस्यों, नोमीनीज इत्यादि का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध हक व हिस्सा नहीं रहा है और ना ही भविष्य में होगा तथा उक्त विक्रय की गयी भूमि मन्दिर/मस्जिद माफी की भूमि में नहीं है।

यह कि उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि बाबत आज से पहले की किसी प्रकार का कोई वाद–विवाद या कोई कर्जदारी, देनदारी, ऋण, राशि सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, इत्यादि तथा बैंक व अन्य संस्था की ऋण राशि व लगान की राशि एवं अन्य कर व शुल्क इत्यादि बकाया निकलेंगे तो उसके निपटारे व अदायगी

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

उप पंजीयक (द्वितीय) (राज.) पंजीयक विभाग सत्यमेव जयते SUB-REGISTRAR, JAIPUR-II

5

की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष विक्रेता की होगी जिससें उक्त द्वितीय पक्ष क्रेता का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होगा।

यह कि विक्रय शुदा कृषि भूमि या उसका कोई भाग विक्रेता प्रथम पक्ष के स्वामित्व त्रुटि के कारण से द्वितीय पक्ष क्रेता के कब्जे व अधिकार से निकल जावे तो द्वितीय पक्ष क्रेता को, प्रथम पक्ष विक्रेता से उक्त विक्रय शुदा भूमि की समस्त विक्रय राशि मय हर्जा–खर्चा सहित उनकी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से एकमुश्त वसूल करने का पूर्ण हक व अधिकार होगा, जो प्रथम पक्ष विक्रेता इस लेख–पत्र में स्वीकार करता है।

यह कि विक्रय शुदा कृषि भूमि का पंजीयन व विक्रय–पत्र आदि का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष क्रेता ने विक्रय राशि के अलावा स्वयं वहन किया है।

यह कि विक्रय की गई कृषि भूमि मुख्य रोड़ से एक किमी दूर स्थित है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी राजी खुशी की अवस्था में बिना किसी नशे पते के अपनी स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 1000/– रूपये के किता एक मुद्रा पत्र एवं किता चार पेपरों पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष इस लेख–पत्र की समस्त ईबारतों को भली प्रकार से पढ़, सुन व समझकर एवं स्वीकार करके अपने हस्ताक्षर करते समय द्वितीय पक्ष क्रेता से उक्त विक्रय शुदा भूमि की समस्त विक्रय राशि नकद प्राप्त करके द्वितीय पक्ष क्रेता को उक्त विक्रय शुदा भूमि पर मालिकाना कब्जा कराकर इस लेख–पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं कि वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांकः 09 सितम्बर सन् 2008 ईस्वी।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष विक्रेता

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष क्रेता

एस. आर. बाल विद्या मन्दिर समिति, भैंसावा
पं. स. सांभरझील (जयपुर)

(सवाई राम)

(एस॰ आर॰ बाल विद्या मन्दिर समिति, भैंसावा)
जरिये सचिव–श्री हरफुल सिंह चौधरी

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

गवाहः 1– बंशीधर पुत्र ईसरा
निवासी–ग्राम भैंसावा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

गवाहः 2– बाबूलाल कुड़ी पुत्र श्री अमराराम कुड़ी
निवासी– बड़ा मठ ग्राम भैंसावा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर

प्रारूपकर्ता

(मदन लाल कुड़ी)
एडवोकेट